सं. ए.12018/06/2022-डीआरएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषध विनियमन अनुभाग)

*****

दिनांक: 15 जुलाई, 2022

सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या drugdiv-mohfw@gov.in पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	*05+01=06	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह - सी -गैर राजपत्रित मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)	गैर चयनित	18 और 27 वर्ष के बीच

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	पदोन्नति के मामले में, सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु और शैक्षणिक अर्हता लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष पदोन्नत हेतु शून्य

भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थांनातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता के आधार पर होगी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)

100% पदोन्नति द्वारा जिसके उपलब्ध न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के द्वारा उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: ग्रेड में आठ वर्ष अपर श्रेणी लिपिक निम्न की नियमित सेवा वाले प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत निकाय/कोई अन्य सरकारी अपीलीय संस्थान: (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारित करने वालो अथवा (ii) निम्न श्रेणी लिपिक अथवा समकक्ष में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले	समूह 'विभागीय (पदोन्नति समित ग' पदोन्नति तथा स्थायी करने पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. निदेशक, सीडीएल, कलकत्ता-अध्यक्ष 2. उप निदेशक (सीडीएससीओ)-सदस्य 3. समूह क, अधिकारी सीडीएल कलकत्ता	लागू नहीं है

[फा.सं.ए.12018/06/2022- डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार